MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
"रेल अधिनियम , 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, पारित किया जाए ।"

The *question was put and the motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2008.

The Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2008

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMAT1PANABAKA LAKSHMI): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Food Safety and Standards Act, 2006, be taken into consideration."

Sir, this Bill has been brought forward, with a view, to consolidate the laws relating to food safety in the country. Sir, sub-section 4 of Section 5 of the Food Safety and Standards Act empowers the Central Government to appoint the Chairperson and Members, other than the ex-ofticio members, of the Food Authority on the recommendations of the Selection Committee. Sub-section 5 of Section 5 of the Food Safety and Standards Act prohibits holding of any other office by the Chairperson and Members of the Food Authority. This provision led to difficulties m constituting the Food Authority.

Sir, I move that the Bill may be taken into consideration.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Lalit Kishore Chaturvedi.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : माननीय उपसभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2008 पर मैं कुछ कहना चाहता हूं । उपसभापति महोदय, खाद्य सामग्री के निर्माण और वितरण को लेकर आजादी से लेकर अभी 2006 तक आठ अलग-अलग काननू थे । वर्ष 2006 में जब खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक लाया गया, तो सरकार ने दावा किया था कि यह खाद्य सुरक्षा का बिल एक समग्र, एक comprehensive विधेयक है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 अगस्त 2006 को राज्य सभा में जो बहस हुई, मुझे उसका विवरण देखने का मौका मिला है, बड़ा आश्चर्य हैं कि 2 अगस्त, 2006 को आठ कानूनों को मिला कर एक समग्र कानून आने की चर्चा कीगई थी ।

(उपसभाध्यक्षय (प्रो0 पी0जे0 कुरियन) पीठासीन हुए)

अभी डेढ़ वर्ष में स्याही भी नहीं सूखी थी कि सरकार एक नया संशोधन लेकर चली आई है । उपसभाध्यक्ष महोदय, 2 अगस्त 2006 को जब विधेयक को पारित किया गया था, उस समय संसद की जो स्थाई समिति थी, उसमें जो विचार प्रकट किए गए थे, उस समय उन्हें इसमें अन्तर्निहित नहीं किया गया । उस समय उस पर स्टीम रोलर चला दिया गया था । आज फिर वही स्ट्रीम रोलर चलाने की प्रक्रिया आ गई है। अभी-अभी माननीय रेल मंत्री महोदय यहां से गए और एक

स्ट्रीम रोलर वह चला गए । मुझे उस समय बोलने का मौका नहीं मिला, किन्तु मैं कहना चाहता हूं, माननीय अहलुवालिया जी ने जो विषय उठाया था कि सचमुच जमीन पर जो कानून 1994में पास हुआ, उसमें ससंद में संशोधन होना अभी शेष है । उसके लिए इन्होंने जो संशोधन पेश किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यह अल्ट्रा वायरस नहीं हो जाए और इसके कारण राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को पछताना नहीं पड़े । यह बात मैं जानकर इसलिए कह रहा हूं कि 2 अगस्त 2006 को जब यह पास किया गया था, उस समय भी स्ट्रीम रोलर चलाया गया था और आज जो एमेंडमेंट लाया गया है, यह भी उस स्ट्रीम रोलर की प्रतिक्रिया हैं ।

7 फरवरी, 2008 को अध्यादेश आया और अब संशोधन विधेयक आ गया है । 25 फरवरी से लोक सभा और राज्य सभा का सदन चलने वाला था, लेकिन 7 फरवरी को यह अध्यादेश लाया गया । मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस बात को स्पष्ट करेंगे कि 7 फरवरी और 25 फरवरी में केवल 18 दिन का अंतर था । इन 18 दिनों में कौन-सा आसमान टूट जाता, जिसके कारण से उस समय उनको अध्यादेश लाना पडा और आज अधिनियम के रूप में वह हमारे सामने आया है। यह जो पद्धति है, यह विधायी कार्य के लिए खतरे की घंटी है । यह संसदीय प्रणाली का अवमूल्यन है । कभी कभी अध्यादेश लाने की आवश्यकता होती है, But these are reason behind it
कई उद्देश्यों और कारणों में इस रीजन को एक्सप्लेन भी किया गया । what was the necessity कि केवल 18 दिन पहले यह अध्यादेश लाया जाए और यह नहीं लाया गया तो आसमान किगर जाएगा फिर आज विधेयक लाने की बात कही गई है ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस संशोधन विधेयक की मूल बात पर आता हूं । जब 2 अगस्त 2006 को संसद में चर्चा हो रही थी, तो माननीय सदस्य ने फूड अथॉरिटी के बारे मेंजानना चाहा था किवह किस प्रकार गठित की जाएगी। उस समय अधिनियम में यह कहा गया था और वह आज भी है, The Chariperson shall be appointyed by the Cenral government from amongst the persons of eminencve in the field of food sciene or form aongst the persons from the adminsistratio who have been associated with the subject and either incld8ing or has held the osition of not below the rank of secretary to the
Government of India"

यह मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि शायद यह बात इसलिए कही गई होगी क्योंकि ऐसा सोचा गया होगा कि उस काम को करने के लिए यह काम कर दिया जाए । उस समय अथॉरिटी के गठन के सिलसिले में चर्चा करते हुए बताया गया था कि केन्द्र एवं यूनियन टेरिटरीज में से 7 एक्स ऑफिशियों मैम्बर्स होंगे, विभिन्न मंत्रालयों में से 5 सदस्य होंगे, प्रदेश से 5 सदस्य होंगे, इंडस्ट्रीज से 2 सदस्य होंगे, उपभोक्ता संगठनों से 2 सदस्य होंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से एक सदस्य होगा और किसान संगठनों से एक सदस्य होगा । इस प्रकार अथॉरिटी में कुल 12 सदस्य मंत्रालय के होंगे और जो मुख्यतया प्रशासिनक अधिकारी होंगे वे प्रदेश तथा केन्द्र से मनोनीत किए जाएंगे । 12 पदाधिकारी तो पद धारण करने के कारण ही सदस्य होंगे और उनका चयन नहीं किया जा सकता, अतः वे अंशकालिक सदस्य नहीं हो सकते । शेष रहे 10 इनमें से 7 विभिन्न गैर-सरकारी संगठनो के होगे, इन्हे पूर्णकालिका सदस्य बनाने में प्राधिकरण की सदस्यता और जिस संगठन को वे बिलौंग करते हैं, उसके पद में क्लैश आने की संभावना हो सकती है, इसीलिए इस अधिनियम को लाने की कोशिश की गई ।

उस समय स्टैंडिंग कमेटी में एक चर्चा यह भी थी कि इस अथॉरिटी में छोटे और लघु खाद्य उत्पादकों एवं महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है । उस कमी को तो पूरा किया नहीं गया, किन्तु संशोधन क्या कहता है कि अंशकालिकता के आधार पर गठन किया जाना है । अध्यादेश इस बात की पुष्टि करता है कि पूर्णकालिक सदस्य न मिलने के कारण यह अशकालिक सदस्य लाने की चर्चा करते हैं । कितना अच्छा होता कि कार्य-प्रणाली में सुधार किया जाता व्यवसथा में सुधार किया जाता । उसकी तो बात नहीं कि, किन्तु ये संशोधन लाए गए । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस देश की 105 करोड जनता है । उस 105 करोड़ जनता में से 10 व्यक्ति ऐसे नही मिले, जो इस क्वालिफिकेशन की पूर्ति करते हो और सशोधोन क्या आ गया कि वह 62 वर्ष से बडी उम्र का व्यक्ति हो, संशोधन क्या आ गया कि पूर्णकालिक नहीं होकर अंशकालिक हो । मुझे ऐसा लगता है कि कोई नाम अभी ऐसा जच रहा है कि जिसको जगह देने की आवश्यकता है , जिसको निश्चिय रूप से चोर दरवाजे से इस काम में लगाने की जरूरत उपस्थित हो गयी कि 105 करोड़ की जनता में से कोई व्यक्ति नहीं मिला, 62 वर्ष की उम्र तक का व्यक्ति नहीं मिला । यह संशोधन आ गया कि ऐसा अंशकालिक व्यक्ति लगाया जाए, जो 62 वर्ष से बड़ी उम्र का हो और अंशका लिक हो।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कौन-सी ऐसी आवश्यकता आ गई थी इस बात को 18 दिन पहले करने की ? क्या आसमान टूट जाता था ? नहीं, वह टूटता नहीं था और जरूरत भी नहीं था । आज भी आप आए हैं, -- मेरा तो विश्वास है कि शायद 2006 से लेकर अभी तक आपने इस प्राधिकारण का गठन ही नहीं किया है । चहेते लोग नहीं मिल रहे हैं, इंटरेस्टेड लोगोंको लगाना संभव नहीं हो रहा है, 62 वर्ष से ऊपर के हैं, ज्यादा उम्र के हैं, इससे कम का 105 करोड़ की जनता में कोई नहीं है । इस क्षेत्र में कितने लोग पूर्णकालिक एक्सपर्ट हैं? इसीलिए इस बात को ध्यान में रख कर यह चीज लाई गई है । मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है । इसके दूरगामी परिणाम होंगे । भावी पीढ़ियां पछताएंगी, भ्रष्टाचार पोषित होगा और सरकार जन-रक्षक नहीं जन-भक्षक कहलाएगी क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट वाले अपने चहेतों की पोस्टिंग करने के लिए, उन्हें लगाने के लिए इस कानून में संशोधन करने का प्रयास किया गया है । (समाप्त)

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, I support the Food Safety and Standards (Amendment) Bill, 2008. Actually, the purpose is very much restricted to accommodate certain persons who have got expertise in this field. The Chairperson of the Food Authority can be a part-time Member. The age-limit is also 65 years. Nowadays, many bureaucrats, after retirement, get jobs, so that their experience can be used in these types of authorities.

In the modern world, the food safety and standards are very important. When we are having a global competition, our food material should be of an international standard. Even though we are having many laws to prevent substandard type of food being sold we are very poor in maintaining the standards. This particular Authority has to come forward with proper regulations, so that our fixed standards for food material are maintained properly.

The Prevention of Food Adulteration Act got certain provisions. But, in many cases, it has not fulfilled the obligations. The State Government Authorities are using that Act very rarely and that too for statistical purpose. They are catching hold of certain poor people who are selling them, like vendors or shopkeepers. But, the persons, who are producing in the brand name or even in the fake name, are left scot-free. For any food material, even for drinking water, nowadays, it is very easy to pack up in a particular known brand name and put the water or any soft drink or any food material and the packet will be standing in some other name. It is sold in that particular name and at that particular price. There is no strict prohibition or enforcement of this Act. During the 20-Point Programme implementation Madam Indira Gandhiji was the Prime Minister. She could have made this programme proper by enforcing throughout India. At that time, there was Emergency also. Therefore, the officials were also working properly and it was enforced properly. Nowadays, there is nothing like that and many people are getting disease only because of this type of foods which are not properly standardised or they are shown as if they are properly standardised. Sir, it is very surprising to note that even drinking water is sold for Rs. 15 per bottle. But, when the milk prices were raised to Rs. 15 per litre, there was agitation. Poor widows and agriculturists depend on milk. We used to say that "you add water into milk." Nowadays, "if you add water, it is much more costlier than the milk." That is the situation now which we are facing. It becomes a habit.

Now, the middle class people, and even the lower middle class people, carry mineral water. Standard is fixed for mineral water. But, there is no enforcement. Anybody can take his own pipe water, put it in a brand bottle and sell it off just by putting a plastic cover around it. They are also putting a type of paper on it to make the people believe. In urgent situations, people purchase water bottles. Anywhere, we can purchase drinking water or any material which is in the brand name. Sir, It's high time. We are making a lot of laws, but, we are not enforcing them properly. The burden is shifting on to the consumer. The basic law is

'beware' or 'consumer should be beware'. That is the law. But, at the same time, materials are flooded into the market. When the materials are flooded into the market, our Government should regulate it properly. If an industry is involved in fake production, then, it has to be sealed and it has to be exposed to the public saying that these are the people who are making fake things. We were surprised to know that fake notes are coming from Malaysia, Sri Lanka, etc. From all around, our neighbours are bringing fake Indian rupee notes into the Indian market. That is the situation we are facing. But, food materials have got much more bad effect. It affects the ordinary people, especially babies who take this type of substandard materials. They are suffering and they are dying. In the same way, ordinary people are now wooed by market and advertisements and they purchase it. We can take one example of coca cola. Coca cola is in a brand bottle. We can get any type of coca cola in villages. Beverages have an age limit, saying that beyond a particular age, chemicals cannot subsist. But, in villages, one-month old or one-year old coca cola is also sold. What is the action that we are taking? Therefore, in one way, we are prescribing the standards, we are making the laws, we are making dynamic organisations, but, at the same time, it is important to note whether we are enforcing them properly or not. Sir, for this, we need a better coordination among all the three layers of the Government—the Central Government, the State Governments and the Panchayat Governments. All the three have to make it and the things which are now available in mass production in a brand name, it reaches the villages. Brand publicity is also given, but, the thing inside is—as we used to call it—"Old wine in new bottle". Old wine is not available, but substandard material is in the new bottle. That is the brand name. Therefore, I request, when the Government is thinking of giving more powers to the Authority under the Food Safety and Standards Act, that the Chairperson to whom particularly these powers are being given, who has to be a full-time Chairperson, has to look after all these things. Now, this Bill allows even people from companies which are producing food materials to be Members of this particular body. This Bill indirectly provides for that. Therefore, they will come and try to be Members of the body competitively so that they can do their business according to their own terms. They can manipulate things. They can make their officials to be the implementing authorities and control them because they are Members of the body. It is better not to accommodate persons who are doing business in this body. Persons who have expertise, who have scientific knowledge and sympathy towards the people should be appointed as Members and Chairperson. They should implement the law properly because it tells upon the life of millions of people. When it is standardised, they believe in the brand mark and take that it is a standardised food. Therefore, the standards should be properly fixed. Therefore, I request the Government to take serious action, if there is any violation of this particular law. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Natchiappan. Shri Veer Pal Singh Yadav.

श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं "खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक 2008", के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । इसमें जो संशोधन आया है, वह, खाद्य प्राधिकरण में चेयरमैन और सदस्य किस तरह के होंगे, इस संबंध में आया है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि इसका कौन अध्यक्ष होगा या कौन सदस्य होंगे महत्वपूर्ण यह है कि पूरे हिन्दुस्तान से जो हम लोग यहां इतने बैठे हुए हैं, ये भी कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने खाद्य पदार्थ है, चाहे दूध हो, सब्जी हो, कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसमें जहर न मिलाया जा रहा हो । आज जब सुबह को मार्केट में जाएं, तो देखिए कि आज लौकी इंजेक्शन से बड़ी की जा रही है, तुरई का भी ऐसा है, दूध सिंथैटिक आ रहा है । क्या यह सब प्राधिकरण से रूक जाएगा ? कानून बना दो, प्राधिकरण बना दो, लेकिन जब तक

उस पर कार्य नहीं होगा, उस पर अमल नहीं होगा, तब तक इसी तरह से खाद्य पदार्थों में मिलावट चलती रहेगी। इसका एक ठोस उपाय होना चाहिए। कानून बना है, मगर इस कानून को कितना उपयोग हुआ है, इसे हम सब लोगों को मिलकर देखना होगा। इसलिए इस पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से लोगों के शरीर में खाने के माध्यम से जहर घोला जा रहा है, उसपर हम सब लोगों को मिलकर विचार करना चाहिए। स्थिति यह है कि कोई भी चीज बाजार में लेने जाएं, उसमें मिलावट है, काली मिर्च लेने जाएं तो उसमें बीज मिले हुए हैं। विदेशों से जो गेहूं आ रहा है क्या वह खाने के लायक हैं ?

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा सुझाव यह है कि इस प्राधिकरण में विशेषज्ञ लोगों को रखा जाए। इसमें रीजनीति नहीं होनीचाहिए, क्योंकि यह समाज से और देश से जुडा हुआ मामला है। इसलिए इसमें जो प्रावधान किया गया है, उसमें विशेषज्ञ लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और मार्केट में इसके लिए सही व्यवस्था हो। यह जो कानून बना है यह कोई बहुत उपयोगी साबित नहीं हुआ है, इसलिए इससे और ज्यादा कठोर कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये मिलावट करने वाले लोग मौत के सौदागर है। अभी पिछले दिनों में मैं टेलीविजन पर देख रहा था गाजियाबाद में एक देशी घी की फैक्टरी है। ...(**व्यवधान**)... **दूध** में तो सिंथैटिक पिला रहे हैं, तो गाजियाबाद में एक फैक्टरी का हम टेलीविजन पर देख रहे थे, जहां जानवरों की हड्डियों से देशी घी बना रहे थे, जिसमें वैसी खुशबू और जो देशी घी से भी बढिया लग रहा था। लोग बड़े चाव से उसको खा रहे है और यह मालूम नहीं कि हम मौत को निगल रहै है। जब तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे लोगों को कोई कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक न तो प्राधिकारण से कोई लाभ होने वाला है न ही कानून से कोई हाथ होने वाला है। मेरा तो सरकार को यह सुझाव है कि इसको बहुत बड़े रूप में और एक आन्दोलन के रूप में लेना चाहिए और सबको मिलकर इस पर विचार करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूरे देश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए।

मैं किसान की बात करता हूं। किसान तो दूध में कोई मिलावट नहीं कर सकता, वह नहीं जानता कि सिंथेटिक दूध कैसे बन सकता है, मगर जो बीच के लोग हैं, जो इस तरह का कार्य करते हैं, उन लोगों पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग ऐसे कार्य करने वाले हैं, उनको भी लगे कि मिलावट करना, लोगों को जहर पिलाना वाकई खतरनाक है और यदि हम पकड़े गए तो हमको बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी। जब तक उन लोगों में एक भय व्याप्त नहीं होगा, तब तक हम लोग इसी तरह से जहर पीते रहेंगे और यह शारीरिक रूप से ही नहीं मानसिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। हम सुबह से जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सुबह दूध या चाय से लेकर शाम तकभोजन में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसमें मिलावट नहीं होती हो। यह जो प्राधिकरण बना है यह उपभोक्ता की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है कि किस तरह से हम उपभोक्ता की सुरक्षा कर सकते हैं यह एक बड़े से सोचने का विषय है और हम सबके मिलकर सोचने का विषय है।

मैं इतने ही सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI MAT1LAL SARKAR (Tripura): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill. At the same time, I would like to mention some points and suggestions. My first submission is this. What was the urgency for the Government to promulgate an Ordinance, instead of bringing in the amendment first? The Session was due to start on 25th February and this Ordinance was promulgated just two weeks before. What was the urgency? It seems that the role of Parliament is being belittled. This process should not be allowed to continue. I am not clear about the urgency.

Secondly, so far as the amendments are concerned, previously, they were fulltime Members, but now they can be part-time Members also. The Chairman should not hold any ether post. He should be a ftilltime Chairman. The provision is like this. Part time Members, other than the *ex officio* Members, would be selected as per recommendation of the Selection Board. But what about *ex officio* Members? What will be the yardstick for their selection? It is not well defined:

The second amendment is regarding superannuation. It has been increased from 62 years to 65 years. That is all right because up to 65 years one has the capacity to work. There- is no doubt about it. I would like to know whether this was the reason to promulgate an Ordinance. Was this done because somebody was going to cross the age of 62 years? My point is, the Chairman should be well versed and should be very experienced in this field. He should have profound knowledge in the field of food, safety and standards. And there should not be political influences in regard to the selection of Chairman. This should be kept in mind. Also, when part-time members are taken in, I have the same opinion as that of the hon. Member, Shri Natchiappan, that vested interests might creep in. The members, so appointed, might overpower the whole system, and proceed to pollute the objectives as well. Hence care should be taken while selecting the members. One aspect which the hon. Member, Shri Chaturvedi, pointed out is about inclusion of women. In the Act itself, there should be a provision for this. Women have the natural instincts of a mother, and it is a mother who is directly involved with food affairs. So, inclusion of women in the Food Safety and Standards Authority of India has to be ensured.

Having said this, in regard to Amendments, I would like to mention a few things. In the Statement of Objects and Reasons, the hon. Minister has stated, "The purpose is to lay scientific standards for articles of food; to regulate manufacture, distribution, sale and import of food articles; to ensure safe and wholesome food; and maintenance of standards. If these are the objectives, then, it will be pertinent to mention here that a call was given on the occasion of the World Food Day celebrations that the objectives should be shifted from food security to 'nutrition security', namely, what type of food our children or our people should take, what should be the calorie contents in it and what should be the nutritive contents in it. That was a call given by the experts on the occasion of the World Food Day Celebrations all over the world. In line with this, I would like to point out that the M.S. Swaminathan Research Foundation—the hon. Member, Prof. Swaminathan, is not here now—made valuable recommendations, and one of its recommendations is to form the "National Nutrition Authority' so that the nutritive contents are ensured in the food that we consume. That is why they have recommended the formation of National Nutrition Authority. I will be happy to know from the hon. Minister whether that recommendation has been accepted and whether the Government is proceeding towards the formation of National Nutrition Authority.

Having said this, I would like to give some idea about the health scenario of the people of our country. The UNICEF, in its Report of 2005, had stated and I quote: "Sixty-three per cent of our people go to bed hungry; 53 per cent of people suffer from chronic malnutrition; the killer diseases like pneumonia, diarrhoea, measles, tetanus, whooping cough, carry away 2.4 million Indian children every year." This is a very alarming thing; 2.4 million Indian children being perished from the attacks of these killer diseases. And, most of these diseases originate from unsafe water, unsafe food and non-standard food. Are we trying to get over this? We still figure in the list of the hungriest countries of the world. Sir, it is not a befitting expression for us. We belong to one of the hungriest countries of the world!

रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : सर, कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। ...(**व्यवधान**)... **सर**, सदन में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**प्रो0 पी0 जे0 कुरियन**) : ठीक है, लेकिन three Ministers are there. ...*(Interruptions)*... Yes, there are three Ministers. Sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्टर को तो रहना चाहिए।

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, they are making the arrangement. ...*(Interruptions)*... It is collective responsibility. ...*(Interruptions)*...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह सदन की परंपरा है । ...(**व्यवधान**)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (Uttar Pradesh): But, Sir three Ministers do not make one Cabinet Minister. ...*(Interruptions)*... I can understand that there is a lunch break and the Minister who has piloted the Bill. ...*(Interruptions)*... This is the normal practice. It is not a Private Members' Bill; even then we have a Cabinet Minister. ...*(Interruptions)*... लंच कहां है आज ? ...(व्यवधान)...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह सदन का अवमूल्यन है माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय ...(**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Sir, he is the Minister with Independent Charge. He is there. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0जे0 कुरियन) : वे independence charge मिनिस्टर हैं । ...(**व्यवधान**)... The Minister with Independent Charge is there.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: That does not make him the Cabinet Minister.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): All right. You have already raised it. .. .*(Interruptions)*...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सर, बहुत अवमूल्यन हो रहा है । DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, there must be some Cabinet Minister. This is not the normal practice. You must call in somebody.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, you try to call some Cabinet Minister. ...*(Interruptions)*... Yes, they are trying. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The debate should not proceed till that time. .. .*(Interruptions)*...

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please continue, Mr. Sarkar. बोलिए, बोलिए । ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए चतुर्वेदी जी, आपने मामला रेज कर दिया, ठीक है, अब बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप चेयर पर बैठे हों और सदन का अवमूल्यन हों ? ...(**व्यवधान**)... यह तो किसी भी लोकतंत्र में नहीं है । ...(**व्यवधान**)...

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: We have sent the message. We cannot immediately make that arrangement.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Then, I would request you to adjourn the House tili there is a Cabinet Minister.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM: Sir, we have sent the message. ...*(Interruptions)*... They are on the way.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The message has been sent, Joshi Sahib. Please continue, Mr. Sarkar. ...*(Interruptions)*... Please continue.

SHRI M AT1LAL SARKAR: Sir, I was speaking about the health scenario in the country. ...*(Interruptions)*...

माननीय सदस्य : आ गए, आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर आ गए ।

प्रो0 राम देव भंडारी (बिहार) : लीजिए, अभी आप लोग बोल रहे थे, अब दो आ गए । भारद्वाज जी और अम्बिका जी आ गए हैं । मांगा एक, आएदो । THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You can see now; instead of one, there are two Cabinet Ministers coming. 1 hope you are satisfied.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: They came when we called. They **should have** been here earlier.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no. There were **three Ministers.** That is a different thing. But it is okay. Please continue, Mr. Sarkar.

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : जब हम यहां बैठे थे, तब जोशी जी, आप नहीं थे, सदन में, हम आपको देखकर आ गए ।

डा0 मुरली मनोहर जोशी : मुश्किल यह है कि आप हमें देखकर चले क्यों गए ?

श्री हंसराज भारद्वाज : जब आप नहीं थे, तो we were feeling. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Our Leader of Opposition was here.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is all right. Please continue, Mr. Sarkar.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, as regards infant mortality rate, our country ranks 49th in the world. That is not a desirable position. Now, what efforts are we making for improving our position in this regard? Sir, the UNICEF report mentioned that our IMR was 68 per 1000 in 2005. Now, how far have we progressed during these last few years? ...*(Interruptions)*... Have we progressed during this period?

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Wind up, please.

SHRI MATILAL SARKAR: Two minutes, Sir. Sir, two minutes more. Sir, we have made advancement in the field of technology. But, science and technology should also come in the field of health. Sir, my question is, whether we have advanced in this field. We have these seats of specialisation like MD, MS, etc., in health. In the Government institutions, these seats are very, very limited in comparison to private institutions. To get a seat in a private institution, lakhs of rupees are needed. The seats are limited in Government institutions. That is why, the merit is not growing in this field. So, the Government should make an adequate provision so that the technology can grow, the institutions can grow, and the expertise can grow in this field.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude. You have taken a lot of time.

SHRI MATILAL SARKAR: I am concluding, Sir. I support the Bill, and I think, my concerns will be taken in the right earnest.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SUBODH KANT SAHAY): Sir, when this Bill was passed in this

House last time, fortunately, 1 had the privilege to reply to the queries of the hon. Members. Imust say that 3 मैं पूरी तरह से assure करना चाहता हूं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कियह अमेंडमेंट क्योंकि अथॉरिटी को existence में आने के लिए ऑलरेडी बहुत सारा वक्त बीत चुका था इसलिए विशेष परिस्थिति में ordinance के मार्फत हमने, वह काम जो रूका हुआ था, वह किया। सीईओ इसका ऑलरेडी appoint हो चुका है और सीईओ एक सर्विंग आफिशियल है – एडिश्नल सेक्रेटरी रैंक के। जो चेयरमैंन appoint होने हैं, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा apprehension है, वह चेयरमैंन भी सेक्रेटरी लैवल के ऑफिशियल्स में कोई होंगे या उसी केटागरि के कोई साईटिस्ट होंगे या कोई और होंगे। उसमें कोई ऐसा आदमी चेयरमैंन नहीं बनने जा रहा है जो political appointee हो। एक्ट के जो प्रावधान है , उसमें केबिनेट सेक्रेटरी के लैवल पर यह पूरी अथॉरिटी कॉटीटयूट हो रही है। इसलिए आपने देखा। क्योंकि पहले हमें यह आइडिया दिया गया था, कि हम जब इसका रेगुलेशन बनांएगे, उसमें हम इसको अमेंड कर सकते हैं, जिसमें ऑफिस आफ प्रॉफिट का सवाल नहींआएगा। लेकिन फाइनली लॉ मिनिस्टरी ने हम लोगों को एडवाइज किया कि आपको इसके अमेंडमेंट के लिए separate जाना पड़ेगा। इसलिए यह क्लॉज हम लोगों ने किया है क्योंकि नहीं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की केटागरि में हर मेंबर आ जाते – जो 22 मैंयर्स और एक चेयरमैंन हैं, वे सब इसमें आ जाते। आप appreciate करेंगेकि जिस मैंबर को मैं ट्रेडिंग कम्युनिटी से ले रहा हूं, इंडस्ट्री से ले रहा हूं, किसी scientific oranisation से ले रहा हूं, - अगर वे फुल टाइम मैंवर होंगे और उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत लाया जाएगा तो फिर वे उस oranisation के मैंबर नहीं होगे। इसलिए हमारी यह लाचारी थी और उसको अमेंड करने के लिए यह छोटा सा प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त women के बारे में आपने कहा। जहां तक उनका सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो 22 लोगों की कमेटी बननी है और इस कमेटी के बाद साईटिफिक पैनल बनेंगे, 6 साइटिफिक पैनल बन रहे है, उसमें सारा स्टैंडर्ड और क्वालिटी क्या होगा, उसको वे लोग फिक्स करेंगे और उनके द्वारा जो फिक्स किया जाएगा, वह फिर down the line नीचे up to the State, district और पंचायत लैवल तक उसी स्टैंडर्ड को लोग मानेंगे-उसमें 33 परसेंट महिलाओं की गुजाइश हमने रखी है। अब यह सवाल आएगा कि उनको ढूंढकर कैसे लाएंगे। लेकिन एक्ट के तहत कमिटमेंट है कि हम 33 परसेंट women participation करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि जितने apprehensions यहां पर आए हैं, उसमें हमने allmost सबको दूर करने की कोशिश की है। फूड टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट तीन रखे है, जोनल रीप्रेजेंटेटिव्स जो बाय रोटेशन आएंगे, पांच रखे हैं, फार्मर्स ऑरग्नाइजेशन के दो रखे हैं, रिटेलर ऑरग्नाइजेशन का एक रखा है, असोसिएशन लाइक FICCI, CII इस तरह की इंडस्ट्रीज के जो असोसिएशंस हैं, उनके दो रीप्रेजेंटेटिव्स रखे हैं। इन लोगों को अगर हम office of profit के तहत मेम्बर के तौर पर रख लेगें, तो फिर वे उस आर्गनाइजेशन के रिप्रजन्टेटिव नहीं रहेंगे। लेकिन चेयरमैंन को हमने बाकायदा उसके अंदर रखा है, he will be a full time chairman, and he will come under the office of profit. जो लीगलिटी है, उसके तहत। उस पर हमने डायल्यूट नहीं किया है, आज ऐज 62 और 65 वाइस चांसलर बना रहे हैं तो, 62 और 65 में कोई बहुत फर्क नहीं पडता है, वह सिर्फ हमने 62 का क्लाज हटा दिया है, Age limit is not there लेकिन चेयरमैंन के लिए हमने उसमें 65 ऐज रखी है। इसमें बहुत कुछ कहने का नहीं है, लेकिन जैसे हमारे माननीय यादव साहब ने बात उठायी थी, यह पूरी अथारिटी इसलिए लाई गई कि आठ मंत्रालय से चुने हुए विभिन्न इसमें इतना था, इतने कंट्राडिक्श्न्स थे कि उनको दूर करने के लिए यह किया है। इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, हमने इसमें फारमर्स को प्रोटेक्ट किया है, हमने इसमें कंज्युमर्स को प्रोटेक्ट किया है, हमने इसमें रिटेलर को वह सारी साइंसटिफिक एप्रोच दी है जिसके चलते कोई harassment नहीं हो, हमने इसमें Inspector raj को हटाया है और यह एक लॉ, एक रखा है, मैं समझता हूं कि इसको बनाने के पहले कम से कम ढाई सौ आर्गनाइजेशन के साथ interaction किया है। Eupopion Community की क्या डिमांड है,हमने उसको क्लियर किया था, International community क्या चाहती है, जिससे कि इस सेक्टर की ग्रोथ हो, आप जानते हैं fruits & vegetables कि आज 50 हजार करोड़ रूपये को बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। इतने कानून और इन्सपेक्टर राज है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए इस सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जाये और एक सांइसटिफिक एप्रोच से दुनिया के बाजार के साथ इसको कैसे जोड़ा जाये, जो आज अडल्ट्रेशन का सवाल उठाया गया है या और भी तरीके से यहां लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, उन सब चीजों को दूर करने के लिए एक वह प्रयास है। मैं समझता हूं कि यह अथारिटी जितनी जल्दी बने, उतना अच्छा है। यह सरकार, खासकर प्रधान मंत्री जी, इस पर बहुत ज्यादा कंसर्न है, कि जितनी जल्दी इसका existence और enforcement हो जायेगा, मैं समझता हूं कि इस लॉ में जो अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव यहां आया है, इसको अगर सदन मान लेता है, तो

यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम और आसानी से जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर पायेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। (समाप्त)

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The question is:

That the Bill to amend the Food Safety and Standards Act, 2006 be taken into consideration.

The motion was adopted

THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: Sir, I beg to move;

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted,

THE BUDGET (GENERAL) 2008-2009

GENERAL DISCUSSION

डा0 मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण् विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हम जब बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम एक विचित्र स्थिति में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहे हैं। आज हम वहां देखते है कि वहां बहुत मंदी का दौर चल रहा है और वहां चुनाव भी हो रहे है। हम भी विश्व अर्थ-व्यवस्था से जुडे हैं और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है , इसका प्रभाव हमारे रोजगार पर पड़ता है। आज विश्व में खाद्यान्न की कमी हो रही है और अन्न के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कच्चे तेल को मूल्य 109 डालर प्रति बैरल हो गया है। हमारे पड़ोस में भी राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरताएं हैं, चीन में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, डालर कमजोर हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन से हमारी खेती और औद्योगिक व्यवस्थाओं पर भी दुष्परिणाम पड़ रहे हैं। उसकी चिंताएं और उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। मुझे पता नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ऊर्जा के संबंध में समझौता हो रहा है, उसका ऊंट किस करवट बैठेगा, वह होगा, नहीं होगा, और उससे किस प्रकार की हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में अस्थिरताएं आएंगी, राजनीति के क्षेत्र मेंअस्थिरताएं आएंगी, मैं नहीं कह सकता। फिर जिस प्रकार से भारत में निवेश हो रहा है उसके क्या परिणाम होंगे और उससे हमारी अर्थव्यवस्था में क्या गिरावट आएगी या कोई सुधार होगा। आज हमने अखबारों में देखा है, कि हमारे औद्योगिक विकास की दर 2007-08 में हमारी अपेक्षाओं के विपरीत बहुत घट गई है। हम यह जानना चाहेंगे कि इन सभी समस्याओं का यह बजट किस प्रकार से निराकरण करेगा। बजट का मतलब क्या है ? क्या बजट सिर्फ आय और व्यय का आकंडा है, और उसमें कुछ फेर-बदलकर के एक हिसाब-हिसाब पेश कर दिया जाए, इतना ही है या बजट देश में किसी सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की भी दिशा देता है, लंबी दिशा देता है, छोटी दिशा देता है, वह किस तरफ ले जाना चाहता है।

महोदय, मेरे सामने भारत का संविधान है। इसके प्रियम्बल में उद्देशिका में लिखा है कि इसमें हम समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय प्रदान करेंगेऔर इसमें हम अवसर की समानता और समता भी देंगे और यह भी कहा गया है, कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधता भी बढ़ाएंगे। यह संविधान की उद्देदेशिका में लिखा है। हम यह जानना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या बजट इन उद्देश्यों को पूरा करता